Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में जयपुर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक–द्वितीय 16 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की करौली इकाई द्वारा आज शनिवार को कार्यवाही करते हुये लक्ष्मीराज तकनीकी सहायक–द्वितीय, ग्रेड सब स्टेशन, जे.वी.वी.एन.एल. अमरवाड़, (सपोटरा) जिला करौली को परिवादी से 16 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके घरेलु कनेक्शन को कटवाने (डी.सी. रिपोर्ट करने) की एवज में लक्ष्मीराज तकनीकी सहायक–द्वितीय, ग्रेड सब स्टेशन, जे.वी.वी.एन.एल. अमरवाड़, (सपोटरा) जिला करौली द्वारा 20 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये लक्ष्मीराज पुत्र श्री रामचरण मीणा निवासी रामठरा, पुलिस थाना सपोटरा, जिला करौली हाल तकनीकी सहायक–द्वितीय, ग्रेड सब स्टेशन, जे.वी.वी.एन.एल. अमरवाड़, (सपोटरा) जिला करौली को परिवादी से 16 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।